रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 299] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 24, 2005/चैत्र 3, 1927

No. 299] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 24, 2005/CHAITRA 3, 1927

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2005

(आयकर)

का.आ. 407(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (15) के उप-खण्ड (vii) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त उप-खण्ड के प्रयोजनार्थ वित्त वर्ष 2004-2005 के दौरान, अहमदाबाद नगर निगम, अहमदाबाद द्वारा जारी किए जाने वाले एक सौ करोड़ रुपए मात्र की राशि के लिए कर मुक्त नगर निगम बंधपत्रों को विनिर्दिष्ट करती है :

बशर्ते कि उक्त उप-खण्ड के अन्तर्गत लाभ तभी ग्राह्य होगा यदि ऐसे बंधपत्रों का धारक उक्त निगम के साथ अपना नाम और धृति उक्त निगम के साथ पंजीकृत कराएगा अथवा कराएगी।

[अधिसूचना सं. 113/2005/फा. सं. 178/23/2005-आयकर नि.-I]

दीपक गर्ग, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2005

(Income-tax)

S.O. 407(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (vii) of clause (15) of Section 10 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies Tax Free Municipal Bonds for an amount of rupees one hundred crores only to be issued by Ahemdabad Municipal Corporation, Ahemdabad during the financial year 2004-2005 for the purpose of said sub-clause :

Provided that the benefit under the said sub-clause shall be admissible only if the holder of such bonds registers his or her name and the holding with the said Corporation.

[Notification No. 113/2005/F. No. 178/23/2005-ITA-I]

DEEPAK GARG, Under Secy.

1003 GI/2005

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.